Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

[Anganbari Appeal Case No.-22/2025]

Usha Raman.....Petitioner.

Versus

District Programme Officer (ICDS), Supaul.....Opposite Parties.

Sl. No.	Date of order of Proceeding	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	09.8.2025	**आदेश** यह आँगनबाड़ी अपील वाद उषा रमण, पति-रामानंद प्रसाद रमण, साकिन-भूड़ा, वार्ड नं0-09, थाना+प्रखंड-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल के द्वारा सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद पर प्रोन्नति हेतु प्रकाशित औपबंधिक मेधा सूची दिनांक-30.12.2024 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-26.7.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदिका का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, सुपौल की ओर से जवाब दाखिल है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के अवलोकनोपरान्त यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रस्तुत अपील वाद का Issue in Question यह है कि सुपौल जिला विज्ञापन संख्या-4/2024 दिनांक-30.9.2024 के आलोक में आवेदिका उषा रमण महिला पर्यवेक्षिका के प्रोन्नत पद पर नियोजन हेतु सेविका के पद पर 10 वर्ष के सेवा की अर्हता धारित करती है अथवा नहीं। कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत-पथरा गोरधेय (भूड़ा) प्रखंड-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल के आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-21 के सेविका के पद पर आवेदिका उषा रमण का विधिवत नियोजन दिनांक-20.3.2009 को हुआ एवं तदोपरान्त वे सेविका के रूप में कार्यरत रही। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक-83 दिनांक-24.1.2011 द्वारा इनको कार्य के प्रति लापरवाही आदि आरोपों के सापेक्ष चयनमुक्त किया गया। जिला पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा अपील वाद सं0-01/2011 में दिनांक-14.6.2011 को पारित आदेश तथा उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा के द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-151/2013 में दिनांक-10.8.2015 को पारित आदेश से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के उक्त चयन मुक्ति आदेश को बरकरार रखा गया। अपने चयन मुक्ति के विरूद्ध वादी उषा रमण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में Writ Petition-16430/2016 दायर किया गया। उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक- 26.6.2018 को पारित न्यायादेश द्वारा चयनमुक्ति एवं अनुवर्ती आदेशों को निरस्त करते हुए Writ Petition को Allow किया गया। तथा आवेदिका उषा रमण को सेविका के पद पर Restore किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त आदेश में निष्कर्षतः अंकित है कि - "The order bearing Memo No-83 dated 24-01-2011 of the District Programme Officer, Supaul impugned at Annexure-4, order bearing Memo No-716 dated 12-07-2011 passed by the District Magistrate impugned at Annexure-6 as well as the 2nd order bearing Memo 1224 dated 14-08-2013 of the District Magistrate impugned at Annexure-8 confirming the position cannot be upheld and is accordingly quashed and set aside. Since the order passed by the Deputy Director, Welfare impugned at Annexure-9 is without jurisdiction, the same is quashed and set aside. The petitioner is restored to her post. The writ petition is allowed."	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा

	09.8.2025	उपरोक्त न्यायादेश से यह स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के स्तर से इनके चयन मुक्ति का आदेश तथा उच्च प्राधिकार के प्रासंगिक Confirmation आदेशों को रद्द करते हुए Petitioner को उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र के सेविका के पद पर Restore किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में वादी के वर्ष 2009 से आँगनबाड़ी सेविका के पद पर लगातार सेवा अनुभव की गणना नहीं करने का संगत वैधानिक आधार प्रतीत नहीं होता है। चुकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के स्तर से इनके चयन मुक्ति एवं अनुवर्ती आदेशों को निरस्त किया जा चुका है। इस संबंध में विपक्षी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी की ओर से कोई अन्य संगत कागजात अथवा वैधानिक बिन्दु सुनवाई में उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अतः उपरोक्त स्थिति में जिला-सुपौल के प्रकाशित प्रश्नगत औपबंधिक मेधा सूची दिनांक- 30.12.2024 को तद्नुसार संशोधित करने का आदेश देते हुए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। LCR निम्न न्यायालय को वापस भेजें। 09/8/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। 09/8/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा